न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 47/2020

प्रविष्टि दिनांक 17-8-2020

चेतन पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी आयु 36 वर्ष निवासी सकतपुरा तहसील निवाई जिला- टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 26–5–2020 मिसल नम्बर 407/2020

उपस्थिति : (1) श्री देवीप्रकाश तिवाड़ी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 9–12–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 26–5–2020 के द्वारा अपीलान्ट को कस्बा निवाई की चरागाह भूमि खसरा नम्बर 3507/4 कुल रकबा 18.00 बीघा में से 0.01 बिस्वा भूमि पुख्ता मकान बना कर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए पेनल्टी कायम कर भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया कि अपीलान्ट ने उक्त खसरा नम्बर 3507/4 चरागाह में कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है, ना ही कोई पुख्ता मकान बनाकर ईट, पत्थर डालकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट का उक्त मकान से कोई सम्बन्ध नहीं है ना ही अपीलान्ट उक्त मकान का मालिक व स्वामी है। उक्त मकान के कब्जे के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी किये बिना विधि विरूद्व तरीके से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब व साक्ष्य पेश [illegible] साबित कर दिया था कि अपीलान्ट का उक्त भूमि में कब्जा नहीं है उसके [illegible] बिना किसी साक्ष्य के उक्त आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। मकान में [illegible] कनेक्शन लगा हुआ है वह भी बाबूलाल जी के नाम है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी अंकित किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के पिता ने जिस भूमि पर मकान निर्माण किया है वह भूमि वार्ड नं0 17 नगर पालिका निवाई के क्षेत्राधिकार में आती है जिसमें लगभग 100 से ज्यादा मकान बने हुए है। नगर पालिका निवाई ने समपूर्ण आवश्यक सुविधाएँ भी वहॉ निवास करने वालों को उपलब्ध करवा रखी हैं तथा सीसी रोड बनवा रखा है। उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र आबादी में आने के कारण तहसीलदार निवाई को कार्यवाही करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। तहसीलदार निवाई ने उक्त भूमि में जितने मकान बने हुए है, उनमें सभी को विधि अनुसार कोई नोटिस जारी नहीं किया है, बल्कि प्रार्थी को रंजिशवंश उक्त नोटिस जारी किया है, जबकि प्रार्थी का तो उक्त भूमि पर कोई अतिक्रण नहीं है। प्रार्थी पुलिस में कॉन्सिटेबल है ओर नगरफोर्ट में पदस्थापित है उसका परिवार सकतपुरा में निवास कर रहा है, उसकी अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया है। निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 24–7–2020 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन आदेश की नकल प्राप्ति हैतु आवेदन पेश किया तथा नकल दिनांक 27–7–2020 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट बिना किसी देरी की एंव न्यायहित में देरी को क्षमा किये जाने हेतु दफा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–5–2020 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही ड्राप फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील में अकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब भी पेश किया है। अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 3507/4 कुल रकबा 18.00 बीघा में से 0.01 बिस्वा भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में स्वंय ने भी यह माना है कि उक्त भूमि पर उसके पिता का मकान बना हुआ है तथा अपीलान्ट अपने माता पिता के साथ उक्त मकान में निवास करता आ रहा है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ग्रामवासियों द्वारा मय फोटो के शिकायत करने तथा दैनिक अखबार में भी अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही करने की माग की गई थी। जिसकी प्रतियॉ पत्रावली में संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा मकान अपनी भूमि में होने व भूमि के स्वामित्व का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे साबित हे कि मकान चरागाह भूमि में ही निर्माण किया गया है। उक्त अतिक्रमित भूमि की किस्म चरागाह है एंव किसी भी राज्यादेश के तहत नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 3507/4 कुल रकबा 18.00 बीघा में से 0.01 बिस्वा भूमि पर पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने स्वंय ने भूमि पर मकान बना होना माना है तथा उक्त भूमि नगरपालिका क्षेत्र में आने के कारण भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार नगरपालिका निवाई का बताया है, किन्तु ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया कि जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि नगरपालिका के अधीन आती हो। मकान में बिजली कनेक्शन ले लेने से मकान के स्वामित्व का अधिकार अपीलान्ट प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रार्थी ने स्वंय ने भी लिखित बहस में माना है कि जिस भूमि खसरा नम्बर 3507/4 पर अतिक्रमण बताया जा रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:39 IST
Reason: SelfAttested

वहां पर अतिक्रमण नहीं होकर प्रार्थी का मकान है ओर अपीलान्ट के मकान के चारों ओर घनी आबादी है। उक्त तथ्यों से साबित है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर पुख्ता मकान अपीलान्ट ने ही बना रखा है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 26–5–2020 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:39 IST
Reason: SelfAttested